# बिहार सरकार
## मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
## (निबंधन)
## आदेश

का0आ0सं0–8बी/विविध-अरा0आ0नि0-04/2023-..5099../–श्री नीरज कुमार चौधरी, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधन, किशनगंज को उत्पाद कार्यालय किशनगंज में प्रतिनियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक–10.10.2022 को उत्पाद कार्यालय किशनगज में योगदान समर्पित किया गया तथा श्री चौधरी के द्वारा दिनांक–11.10.2022 से दिनांक–15.10.2022 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय से जाने के पश्चात अवकाश अवधि समाप्त होने पर कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी गयी। इस संबंध में उत्पाद कार्यालय, किशनगंज द्वारा श्री चौधरी के मोबाईल पर सम्पर्क किये जाने पर वे दिनांक–25.11.2022 को कार्यालय में उपस्थित हुए परंतु पुनः वे अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहें। इसकी सूचना के साथ अधीक्षक मद्यनिषेध, किशनगंज के द्वारा श्री चौधरी, के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री चौधरी, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर एवं प्रतिनियुक्त उत्पाद कार्यालय किशनगंज के विरूद्ध अधीक्षक मद्यनिषेध, किशनगंज के द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया।
3. श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–658 दिनांक–01.02.2023 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में श्री चौधरी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विभागीय आदेश सं0–2495 दिनांक–25.06.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें जिला अवर निबंधक, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी तथा अवर निबंधक, ठाकुरगंज, किशनगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।
4. विभागीय आदेश संख्या–2495 दिनांक–25.06.2024, विभागीय पत्रांक–4335 दिनांक–21.10.2024, एवं पत्रांक–1910 दिनांक–11.04.2025 द्वारा जिला अवर निबंधक किशनगंज से विभागीय कार्यवाही संचालित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–जिला अवर निबंधक किशनगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके ऊपर कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति संबंधी आरोप के संबंध में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अवर निबंधक, ठाकुरगंज से प्राप्त अभिलेखों व श्री चौधरी द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के समीक्षोंपरान्त यह प्रमाणित है कि श्री चौधरी अधीक्षक मद्यनिषेध, किशनगंज के कार्यालय में दिनांक–10.10.2022 के योगदान देने के पश्चात दिनांक–11.10.2022 से दिनांक–21.02.2023 तक की अवधि में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें है किन्तु उनकी अनुपस्थिति का मूल कारण उनका बीमारी था, जिसका ईलाज कराने के क्रम में चिकित्सक द्वारा उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी। पुनः चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र के उपरांत श्री चौधरी द्वारा कर्त्तव्य पर लगातार

1/09/25

उपस्थित रहें है। अतः इस आधार पर श्री चौधरी द्वारा जानबूझकर कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी तथ्य को बल नहीं दिया जा सकता है।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–जिला अवर निबंधक, किशनगंज द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3127 दिनांक–09.06.2025 द्वारा आरोपी कर्मी श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में श्री चौधरी द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया कि उनके द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में उत्पाद कार्यालय, किशनगंज में अपना योगदान समर्पित किया गया तथा योगदान के फलस्वरूप वें अस्वस्थ रहने के कारण आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर थे। अवकाश के दौरान अस्वस्थ रहने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित रहा तथा दिनांक–25.11.2022 को बीमार अवस्था में उत्पाद कार्यालय, किशनगंज में उपस्थित हुआ। लेकिन अचानक तबीयत काफी खराब हो जाने के कारण और डॉक्टरी ईलाज के कारण कार्यालय से अनुपस्थित रहा तथा अस्वस्थता के कारण इसकी सूचना कार्यालय को प्रेषित नहीं कर सका, और उनके परिवार के सभी सदस्य उनकी देखभाल एवं चिकित्सा संबंधी कारणों से कार्यालय को तुरंत सूचना नहीं दे सकें। स्वस्थ होने के उपरांत वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहें हैं। उनके द्वारा जानबुझकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कार्य नहीं किया गया है।

6. संचालन पदाधिकारी–सह–जिला अवर निबंधक, किशनगंज के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार चौधरी, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी कर्मी द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में उत्पाद कार्यालय, किशनगंज में अपना योगदान समर्पित किया गया तथा योगदान के फलस्वरूप अस्वस्थ होने के कारण आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर थे। अवकाश के दौरान गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित रहे तथा दिनांक–25.11.2022 को बीमार अवस्था में उत्पाद कार्यालय, किशनगंज में उपस्थित हुये एवं पुनः अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ्य होने के कारण कार्यालय से अनुपस्थित रहें। उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति उनके गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण हुआ किन्तु उन्हें अपनी अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिया जाना था। अगर वे सूचना देने में असमर्थ थें तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचना देते। परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचार नियमावली के सुसंगत धारा के प्रतिकूल है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लिखित चेतावनी का दण्ड अधिरोपित किया जाता है साथ ही उन्हे भविष्य के लिये सचेत करते हुए इसकी पुनरावृति न करने का निदेश दिया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

01/09/25

(29)

ज्ञापांक– **8बी/विविध-अरा0आ0नि0-04/2023 -** 5099/–    पटना, दिनांक– 01.09.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /उप निबंधन महानिरीक्षक/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पुर्णिया प्रमण्डल, पुर्णिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/जिला अवर निबंधक, भागलपर/जिला अवर निबंधक, किशनगंज/अवर निबंधक, बहादुरगंज/मद्यनिषेध अधीक्षक, किशनगंज/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री नीरज कुमार चौधरी, उच्चवर्गीय लिपिक, तत्कालीन जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति जिला अवर निबधन कार्यालय, किशनगंज (प्रतिनियुक्त अवर निबंधन कार्यालय, बहादुरगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

01/09/25